कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2018 दिनांक 15.07.2017 द्वारा श्रीराम जांगिड प्र.अ. रामावि–मलिकपुर जिला जयपुर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राआउमावि–उपलागढ, आबूरोड जिला सिरोही में पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्व प्रार्थी श्रीराम जांगिड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं 11541/2018 श्रीराम जांगिड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका सं 11541/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे 6 सप्ताह के भीतर एक सकारण स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पुत्र की मानसिक विमन्दता, उसके लम्बे समय से उपचाराधीन रहने और अपने पदस्थापन स्थान के अत्यधिक दूर होने के कारण होने वाली परेशानियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद अथवा आगामी सेवानिवृति से रिक्त होने वाले किसी पद पर करने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी श्रीराम जांगिड से सम्बन्धित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और पाया गया कि उनके द्वारा राआउमावि–उपलागढ सिरोही में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जा चुका है। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में वर्तमान में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्यहित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्रीराम जांगिड, प्रधानाचार्या राआउमावि–उपलागढ जिला सिरोही का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/श्रीराम जांगिड/याचिका/11541/2018 दिनांक 24.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना. स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्रीमती मधु राजपूत प्रधानाचार्य राउमावि-घूघरा जिला अजमेर का स्थानान्तरण राउमावि-सूरजपुरा जिला अजमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मधु द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17673/2018 श्रीमती मधु राजपूत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका सं. 17673/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती मधु राजपूत के सम्बन्ध में जारी विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

उक्त आदेश के स्थगित किये जाने के फलस्वरूप राउमावि-घूघरा अजमेर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः श्रीमती मधु राजपूत माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राउमावि-घूघरा, अजमेर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्रीमती रजनी मानव प्रधानाचार्य राउमावि-घूघरा अजमेर का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि-सूरजपुरा जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्रीमती मानव को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/मधु राजपूत/17673/2018 दिनांकः 24.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्रीमती इन्दिरा गुप्ता, प्रधानाचार्य राबाउमावि, कल्याण कुन्ज–झोटवाडा का स्थानान्तरण राउमावि–कान्ट आमेर जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 671/2018 दायर की गई। अपील में श्रीमती गुप्ता द्वारा स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप राबाउमावि कल्याण कुन्ज झोटवाडा जयपुर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील में राज्य हित में प्रदान की गई स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मद्देनजर दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करते हुए श्रीमती गुप्ता को विभागीय आदेश दिनांक 10.07.2018 द्वारा राउमावि–पुठौली, गंगरार जिला चित्तौडगढ स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती इन्दिरा गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका सं 16984/2018 श्रीमती इन्दिरा गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में श्रीमती इन्दिरा गुप्ता माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राबाउमावि–कल्याण कुन्ज, झोटवाडा, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्री सुनील कुमार उपाध्याय प्रधानाचार्य राबाउमावि–कल्याण कुन्ज, झोटवाडा जिला जयपुर का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राउमावि–पुठैली, गंगरार, चित्तौडगढ किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/इन्दिरा गुप्ता/याचिका/16984/2018 दिनांक 24.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/चित्तौडगढ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 15.07.2018 द्वारा श्रीमती दामिनी दांत्या, प्रधानाचार्या राउमावि–झामरकोटडा, कुराबड जिला उदयपुर का स्थानान्तरण राउमावि–नयावास कोटडा, झाडोल जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती दामिनी दांत्या द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10591/2018 दामिनी दांत्या बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका सं 10591/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्रीमती दांत्या को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर 15 दिवस में निस्तारित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए थे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के गठिया रोग (rheumatoid arthritis) से पीडित होने एवं अपने पदस्थापन स्थान के करीब 100 किमी दूर होने के चलते अपना पदस्थापन अपने गृह जिले उदयपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर अथवा उदयपुर शहर में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं राज्य सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। याचिकार्थी को उनके गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्रीमती दामिनी दांत्या का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि–नयावास कोटडा, झाडोल उदयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 27.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/दामिनी दांत्या/10591/2018 दिनांकः 24-08-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर को पाबन्द कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)